"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 अगस्त 2015— श्रावण 10, शक 1937

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2015

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 5-2/2013/15-1/5 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे सेवा या पदों में भर्ती के लिये नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसमें इसके पश्चात् सौंपी जाये;

(ख) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ग) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) **"सीमित प्रतियोगी परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 13 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "**अनुसूचित जाति**" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "**अनुसूचित जनजाति**" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "**चयन समिति**" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन भर्ती के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(ट) "**सेवा**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा;

(ठ) "**राज्य**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूची–चार के अनुसार, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, शासन द्वारा अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा तैयार किये जायेंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी

शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) अभ्यर्थियों, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला /विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु

उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अलावा आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क – अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.–** (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम अवधारण न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का

विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:**– नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती:**– (एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन, साक्षात्कार/प्रतियोगी परीक्षा के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा मेरिट के आधार पर, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति का गठन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अंतरालों पर किया जायेगा।

(3) सेवा में भर्ती के समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (3) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पदों को, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, आरक्षित रखा जायेगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति के लिये पदों को, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची**.– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का

सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हो, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है। सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियां, शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, के लिये आरक्षित रखी जायेगी।

13. **सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पदों पर लिपिक वर्गीय सेवा से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पदों को, पंजीयक, सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय सेवा से भरने के लिये, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष (अनुसूची पांच में उल्लिखित योजना के अनुसार) एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जायेगी।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ वर्गो के सदस्य है, की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यथियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(3) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां ऐसे अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा जो सीमित

प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संवर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियां, व्यपगत समझी जायेगी।

(4) नियुक्ति के लिये अनुसूचित उपयुक्त उम्मीदवारों की सूचीः– अनुसूची पांच के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार तथा व्यवस्थित की जायेगी। यह सूची, अंतिम रूप से इसके तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष तक विधिमान्य रहेगी।

(5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी/शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगी।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण.– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार होगी।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

(4) पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड वरिष्ठता सह उपयुक्तता होगी।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल

उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि, वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

19. **परिवीक्षा.**– (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की कालावधि अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

20. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	127	छ.ग. अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय) तृतीय श्रेणी सेवा	9300–34800 ग्रेड वेतन 4300
2.	सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी	361	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
3.	उप अंकेक्षक	172	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
4.	वाहन चालक	34	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कर्तव्य पद की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	127	—	100%		
2.	सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी	361	40% पद, लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जायेंगे तथा 10% पद, अनुसूची पांच में उल्लिखित योजना के अनुसार लिपिक वर्गीय संवर्ग के कर्मचारियों से चयन द्वारा भरे जायेंगे।	50%		
3.	उप अंकेक्षक	172	100%			
4.	वाहन चालक	34	100%			

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयय से स्नातक उपाधि
2.	उप अंकेक्षक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि
3.	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण एवं वैध ड्राईविंग लायसेंस

टीपः ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिये)

स. क.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	05 वर्ष	1. अपर पंजीयक – **अध्यक्ष** 2. संयुक्त पंजीयक (स्थापना) – **सदस्य** 3. उप पंजीयक (स्थापना) – **सदस्य** टीप– यदि कोई सदस्य, समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संवर्ग के समान प्रास्थिति के अधिकारी को, सम्मिलित किया जायेगा।
2.	उप अंकेक्षक	सहकारी निरीक्षक / सहकारी विस्तार अधिकारी	05 वर्ष	

अनुसूची पांच
(नियम 13 देखिये)

सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्त करने हेतु योजना–

1. **संक्षिप्त नामः–** यह योजना सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद में पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से चयन द्वारा नियुक्त करने हेतु योजना कहलायेगा।

2. **पात्रताः– (क)** योजना में लिपिक वर्गीय संवर्ग के केवल ऐसे नियमित सदस्य भाग ले सकेंगे जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हो, अर्थात्:–

   (1) जो पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कम से कम 5 वर्षों से लिपिक वर्गीय संवर्ग में नियमित रूप से कार्य कर रहा हो।

   (2) जो सहकारी निरीक्षक तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद में सीधी भर्ती के लिए अनुसूची–तीन में यथा उल्लिखित विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो।

   (3) जिस वर्ष में अभ्यर्थी का चयन किया जाए उस वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न की हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

   (ख) किसी भी लिपिक वर्गीय संवर्ग के कर्मचारी को, इस योजना के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षा में तीन से अधिक बार शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. **चयनः–** नियुक्ति के लिए चयनः–

   चयन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा–

   (1) इस योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित अंक (सफल अभ्यर्थियों को, कम से कम 60% अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य होगा); और

   (2) संबंधित कर्मचारी का पिछले पांच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन।

4 **परीक्षाः**– (1) लिखित परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीख, स्थान एवं ऐसे अन्तरालों में आयोजित की जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) लिखित परीक्षा दो प्रश्न पत्रों का होगा तथा प्रत्येक पेपर 50–50 अंक के लिये ढाई घंटे की अवधि का होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग–अलग कम से कम 60% अंक अभिप्राप्त करना होगा।

(3) प्रश्न पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार कराये जायेंगे तथा उसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगेः–

प्रथम प्रश्न पत्र– सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, प्रशासनिक शब्दावली का ज्ञान, प्रारंभिक गणित तथा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान।

द्वितीय प्रश्न पत्र–

(1) शासकीय सेवा के सामान्य नियम

(2) विभाग में प्रचलित शब्दावलियों का ज्ञान

(3) अधिनियम/नियम/मेन्युअल का ज्ञान–

(एक) अधिनियम– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2007;

(दो) नियम– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962

(तीन) मेन्युअल – विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का ज्ञान।

(4) प्रश्न पत्रों की पाठ्यचर्या, इससे संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित है।

(5) केवल वही कर्मचारी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा जो उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित अर्हताएं पूरी करता हो, आवेदन, ऐसे अभ्यर्थियों, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट तारीख से कम से कम एक माह पूर्व आमंत्रित किये जाएंगे। केवल ऐसे आवेदक, जो परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र पाया जायेगा, को परीक्षा की तारीख, स्थान एवं समय आदि के संबंध में सूचित किया जायेगा।

(6) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित विभागीय अधिकारी, जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा कराया जायेगा।

(7) केवल ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी, जिसने प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग–अलग 60% या उससे अधिक अंक अभिप्राप्त किये हैं।

5. **अंतिम चयन सूची:–** (एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिसका नाम पैरा 4 की उप–पैरा (7) के अंतर्गत तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, के गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन, अनुसूची–चार के कॉलम (5) में उल्लिखित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक अभ्यर्थी को, प्रत्येक वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन के लिए 20 अंक में से नीचे दिये गये अनुसार अंक दिये जायेंगे:–

उत्कृष्ट / बहुत अच्छा	– 20
अच्छा	– 15
सामान्य	– 10

(तीन) प्रत्येक अभ्यर्थियों को, लिखित परीक्षा में जितने अंक प्राप्त हुए हैं, उसके सामने उनकी गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त अंक लिखे जायेंगे और दोनों अंकों का योग किया जायेगा।

(चार) अंतिम चयन सूची, लिखित परीक्षा तथा गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन से अभिप्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर तैयार की जायेगी। सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद में 10% कोटे पर इस सूची में उल्लिखित नाम के क्रमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

(पांच) सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद में लिपिक वर्गीय संवर्ग से कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता का क्रम वही होगा जैसा कि अंतिम सूची में उल्लिखित हो।

6. **परिवीक्षा** – इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये प्रत्येक कर्मचारी को, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। उपर्युक्त दो वर्ष, ऐसे पद की प्रशिक्षण अवधि होगी और यदि कोई विभागीय परीक्षा विहित हो तो वह भी उत्तीर्ण होना अपेक्षित होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को, परिवीक्षा अवधि में सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उन्हें पूर्व के लिपिक वर्गीय पद में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। लिपिक वर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित होने की दशा में, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद में परिवीक्षा अवधि में की गई सेवा को, लिपिक वर्गीय सेवा में की गई सेवा मानी जायेगी।

परिशिष्ट
प्रश्न पत्रों की पाठ्यचर्या

प्रश्न पत्र – 1

समय : 01 घंटा 15 मिनट (पूर्णांक 50)

1. सामान्य ज्ञान (15 अंक)
   सम–समायिक घटनायें, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा संबंधित प्रसंग, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न (3 प्रश्न)
2. सामान्य हिन्दी (15 अंक)
   10–12 पंक्ति की संक्षेपिका के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न, समान शब्दों के अर्थ में भिन्नता एवं किसी विनिर्दिष्ट विषय पर 150 शब्दों में निबंध।
3. प्रशासनिक शब्दावली का ज्ञान (05 अंक)
4. प्रारंभिक गणित (10 अंक)
   गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली, प्रतिशत, लाभ–हानि, औसल, आयतन, क्षेत्रफल, अनुपात, सामान्य गणित।
5. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान (05 अंक)

प्रश्न पत्र – 2

समय : 01 घंटा 15 मिनट (पूर्णांक 50)

1. शासकीय सेवा का ज्ञान (20 अंक)
   वेतन और भत्ते, अवकाश नियम, सामान्य भविष्य निधि, विभाग के सेवा भर्ती नियम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011.
2. विभाग में सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले निम्नांकित का ज्ञान (15 अंक)
   1. सहकारी संस्था, 2. पंजीयक, 3. सीमित दायित्व–असीमित दायित्व, 4. उपविधि, 5. संस्था का पुनर्गठन, 6. नाममात्र सदस्य, 7. अंशपूंजी, 8. उधार ग्रहण शक्ति, 9. निधियों का विनियोजन, 10. संघीय संस्था, 11. शीर्ष संस्था, 12. प्राथमिक संस्था, 13. वार्षिक आम सभा, 14. शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति, 15. अधिक्रमण, 16 अवसान, 17. अंकेक्षण, 18. अंकेक्षण शुल्क, 19. जांच, 20. निरीक्षण, 21. अधिभार, 22. विवाद, 23. परिसमापन, 24. अपील, 25. पुनरीक्षण पुनर्विलोकन, 26 निष्कासन, 27 निष्पादन, 28. कार्यक्षेत्र, 29. पंजीयन, 30. सहकारिता का विकास ऐतिहासिक ज्ञान, 31. सहकारिता विकास की संभावनाएं.
3. विभाग से संबंधित निम्नांकित अधिनियम/नियम/अधिसूचना/परिपत्र आदि का ज्ञान (15 अंक)
   (1) अधिनियम– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (नुकसान की प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2007;
   (2) नियम – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962;
   (3) परिपत्र – विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का ज्ञान;
   (4) सहकारी संस्थाओं के आदर्श उपविधियों का ज्ञान।

Naya Raipur, the 28th July 2015

NOTIFICATION

No./F 5-2/2013/15-1/5.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service in the Chhattisgarh Sub-ordinate Cooperative (Non Clerical Cadre) Class III Services, namely :-

RULES

1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Chattisgarh Sub-ordinate Cooperative (Non Clerical Cadre) Class III Service Recruitment Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appointing Authority**" in respect of services means an authority to whom the power of appointment has been or hereinafter may be assigned for recruitment to the service or posts;

(b) "**Examination**" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

(c) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(d) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(e) "**Limited Competitive Examination**" means the examination held under rule 13 of these rules;

(f) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(g) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

(h) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **Selection Committee**" means a selection committee constituted by the appointing authority for recruitment under these rules;

(k) "**Service**" means the Chhattisgarh Sub-ordinate Cooperative (Non Clerical Cadre) Class III Services;

(l) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service. - The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

(4) Persons, transferred as per order from other departments.

5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Method of recruitment.** - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the Service as specified in column (2) of Schedule- IV;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), or (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determine on each occasion by the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prepared by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to be constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria by the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya

Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment in service.- All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the

contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fullfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidiates.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) in rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience- The candidate must possess the educational qualifications and experience prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fees:- The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.– **(1)** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection /Interview.– (1) Direct Recruitment by Competitive Examination:- Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of three members.

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection :-

(i) The selection for recruitment to the service shall be made after interview/ held competitive examination by the Appointing Authority.

(ii) The selection of candidates to the service shall be made by the Selection Committee on the basis of merit by written examination/ interview.

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (3) as the case may be.

(6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain experience period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience in

respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability shall be reserved in accorandance with the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

12. List of candidates recommended by the Committee.– (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration. This list shall also be published for information to the general public.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service. Vacancies available for direct recruitment shall be reserved for candidate who are member to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per percentage determined by the government.

13. Direct recruitment by selection through limited Competitive examination to clerical service on the posts of Cooperative Inspector / Cooperative Extension Officer-

(1) Limited competitive examination shall be conducted (as per scheme mentioned in Schedule V) every year by the appointing authority for filling the post of Cooperative Inspector / Cooperative Extension Officer from clerical service of sub-ordinate offices of the Registrar Cooperative Societies Chhattisgarh and a list shall be prepared to eligible candidates.

(2) In filling up the vacancies so reserved, the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule (1) irrespective of their relatives rank with other candidates.

(3) The candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, the sufficient number for filling reserved vacancies is not likely to be available, then remaining vacancies shall be filled by such another candidates, who have passed limited competitive examination and reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes cadre shall be deemed to be lapse.

(4) List of suitable candidates for appointment- As per criteria of Schedule V, a list shall be prepared and arranged in the order of merit of the candidates, and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by selection committee /appointing authority for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. This list shall be valid upto 1 year from the date of its being prepared finally.

(5) Subject to the provisions of these rules, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority/government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

14. Appointment by Promotion.– (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made as per order issued by the Government from time to time and as per model roaster

(4) The procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the General Administration Department from time to time.

(5) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

15. Conditions of eligibility for promotion.– The Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service as specified in column (4) of Schedule IV (whether officiating or substantive) in the posts, as specified in column (2) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are withing the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public

servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The promotion shall be made as per Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and order issued by the General Administration Department, from time to time.

16. Preparation of list of suitable candidate. – (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list.

(2) The list of suitable officers shall be prepared in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The name of employee included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

(4) For the preparing of the selection list for promotion, the criteria shall be senority subject to fitness.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. Select List. –

(1) The select list as finally approved by the Appointing Authority shall be approved Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (2) of the said schedule.

(2) The select list shall ordinarily be valid for 1 year from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and he may, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the service from the select list. – (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of service shall follow the order in which name of such employee appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation. – (1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

20. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation. – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and saving.– **(1)** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Special Secretary.

SCHEDULE –I

(See rule 5)

S. No	Name of post included in the service	Number of posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Senior Cooperative Inspector	127	C.G.sub-ordinate Cooperative (non clerical) Class – III Service	9300-34800 GP 4300
2.	Cooperative Inspector/Cooperative Extension Officer	361	-do-	5200-20200 GP 2800
3.	Sub Auditor	172	-do-	5200-20200 GP 2400
4.	Driver	34	-do-	5200-20200 GP 1900

SCHEDULE - II
(See rule 6)

S. No.	Name of posts included in the service	Number of Duty Post	Percentage of number of the posts to be filled in			Remarks
			By Direct Recruitm-ent {See rule 6 (1) (a)}	By Promoti-on {See rule 6 (1) (b)}	By temporally transferred/ deputation of person from other services see rule 6 (1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Senior Cooperative Inspector	127	-	100%		
2.	Cooperative Inspector/ Cooperative Extension Officer	361	40% post shall be filled by Public Service Commission and 10 % post shall be filled by selection from clerical cadre employees as per scheme mentioned in Schedule V.	50%		
3.	Sub-Auditor	172	100%			
4.	Driver	34	100%			

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

S. No.	Name of Posts included in the service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cooperative Inspector/Cooperative Extension Officer	21 years	30 years	Graduation degree from any recognized University
2.	Sub Auditor	21 years	30 years	Graduation degree in commerce from any recognized University
3.	Driver	18 years	30years	Passed 8th class and valid driving license .

Note :The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE - IV
(See rule 14)

S. No	Name of service or Post from which Promotion to be made	Name of service or Post to which Promotion is to be made	Period of service for promotion	Name of the members of Departmental Promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cooperative Inspector/ Cooperative Extension Officer	Senior Cooperative Inspector	05 years	1. Additional Registrar **-Chairman** 2. Joint Registrar . (establishment) **- Member** 3. Deputy Registrar (establishmant) **-Member** Note- If any member do not represent the SC or ST cadre, then the ST or SC cadre officer shall be included on same status in the committee.
2.	Sub-Auditor	Cooperative Inspector/ Cooperative Extension Officer	05 years	

SCHEDULE -V

(See Rule 13)

Scheme for appointment to the post of Cooperative Inspector/Cooperative Extension Officer by limited Competitive Examination from the employees of Clerical Cadre –

1. **Short title-** This scheme may be called Scheme for appointment to the post of Cooperative Inspector and Cooperative Extension Officer from the employees of clerical cadre of the sub-ordinate office of Registrar, Cooperative Societies Chhattisgarh.

2. **Eligibility- (a)** Only regular member of clerical cadre having following qualifications, may participate in the scheme, namely-

   (1) Who is working continuously in clerical cadre for at least 5 years in the Registrar, Cooperative Societies Chhattisgarh and their sub-ordinate offices.

   (2) Who is holding prescribed educational qualifications as mentioned in Schedule III for direct recruitment to the post of Cooperative Inspector and Cooperative Extension Officer.

   (3) The candidates must not have attained the age of 40 years on 1st January of that year when the selection is made. Upper age limit for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates shall be 45 years.

   (b) No employee of the clerical cadre shall be permitted more than three attempt in the examination to be held under this scheme.

3. **Selection -** Selection for appointment-

   The selection shall be done on the basis of :-

   (1) Marks secured by successful candidates in the examination conducted under this scheme (Successful candidates shall be required to obtain at least 60% marks); and

   (2) Evaluation of Confidential Report of last five years of concerned employees.

4. **Examination -** (1) Written examination shall be conducted every year by the Appointing Authority in such dates, places and in such intervals as may be determined by the Appointing Authority.

(2) Written examination shall consist of two question papers and the period of 2½ hours for each paper carrying 50-50 marks. In order to pass out in the examination, at least 60% marks must be obtained separately in each question paper.

(3) Question paper shall be prepared by the Appointing Authority and shall include the following subject –

1st Question Paper - General Knowledge, General Hindi, Knowledge of Administrative Vocabulary, Elementary Mathematics, and Knowledge of Chhattisgarh Language.

2nd Question Paper -

(1) General rule of Government Service

(2) Knowledge of existing vocabulary in Department

(3) Knowledge of Acts/Rules/Manual-

(i) Act- The Chhattisgarh Cooperative Societies Act, 1960, The Chhattisgarh Cooperative Societies (Compensation of Loss) Act, 2007;

(ii) Rule - Chhattisgarh Cooperative Societies Rules, 1962

(iii) Manual - knowledge of circulars issued by department.

(4) Syllabus of question paper are mentioned in Annexure attached herewith.

(5) Only such employees fulfilling qualifications as mentioned in above para 2 shall be considered eligible to appear in this examination, applications shall be invited by Appointing Authority from candidates who wish to participate in the examination at least one month prior to the specified date for examination. Only such applicants who shall be found to be eligible for admission in the examination shall be intimated regarding date, place and time etc. of the examination.

(6) Evaluation of answer sheet shall be done by the Departmental Officer nominated by the Appointing Authority in this behalf, who shall be not below the rank of Class-I Officer.

(7) The list shall be prepared of such candidates only, who have obtained 60% or more marks separately in each question paper.

5. **Final list of Selection-** (i) The Confidential Report of such candidates whose names have been included in the select list prepared under sub-para (7) of

Para 4 shall be evaluated by Departmental Promotion Committee mentioned in column (5) of schedule IV.

(ii) Each candidate shall be given following marks Out of 20 marks for Confidential Report of every year-

Excellent / very good	- 20
Good	- 15
Average	- 10

(iii) Marks received on the basis of Confidential Report shall be mentioned against the marks obtained in written examination by each candidate and total of both the marks shall be calculated.

(iv) Final select list shall be prepared on the basis of total (sum) of marks obtained in written examination and evaluation of Confidential Report. Appointment on the 10% quota posts of Co-operative Inspector/ Co-operative Extension Officer shall be made as per the order of name in the list.

(v) Order of mutual seniority of employees to clerical cadre appointed to the post of Cooperative Inspector /Cooperative Extension Officer shall be such as mentioned in final list.

6. **Probation** - Every employee appointed under this scheme shall be kept on probation of two years and the above two years shall be training period of such post. And if the departmental examination held then they shall be also required to qualifying it. If any candidate found not suitable to the post of Cooperative Inspector/Cooperative Extension Officer during probation period then they shall be reverted to the prior post of clerical cadre. In case to reversion to the post of clerical cadre, services rendered/provided during probation period to the post of Cooperative Inspector/Cooperative Extension Officer shall be deemed to be services done on clerical service.

Annexure

Syllabus of Question Paper

Question Paper-1

(Total Marks 50)

Time - 01 hours 15 minutes

1. General Knowledge (15 marks)
   Current affairs/ events, History of India, Geography of India and relevant reference, question relating to General Knowledge of Chhattisgarh. (3 question)
2. General Hindi (15 marks)
   Short questions on the basis of precise of 10-12 line, defferent in meaning of equivalent words and essay on any specified subject in 150 words.
3. Knowledge of administrative vocabulary (05 marks)
4. Elementary mathematics (10 marks)
   Multiple, division, decimal system, percent, profite-loss, average, volume, area, ratio, general mathematics.
5. Knowledge of language of Chhattisgarh (05 marks)

Question Paper-2

(Total Marks 50)

Time -01 hours 15 minutes

1. Knowledge of government service (20 marks)
Salaries and allowances, rules for leave, general fund, service recruitment rules of the department. the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, Right to Information Act, 2005, Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011.

2. Knowledge of following to be used generally in the department (15marks)
1.Cooprative Society 2.Registrar 3.Limited Liability- Unlimited Liability 4.Bye-laws 5.Reorganigation of Society 6. Ex-officio Member 7.Capital 8.Power to take Loan 9.Appropriation of Funds 10.Central Society 11. Apex Society 12. Primary Society 13.Annual General Meeting 14. Person Nominated By Government 15.Supersession 16.Expiration 17.Audit 18.Audit Fee 19.Enquiry 20.Inspection 21.Charge 22. Dispute 23. Liquidation 24.Appeal

25.Revision,Review 26.Removal 27.Execution 28.Jurisdiction 29.Ragistration 30.Historical Knowledge Of Development Of Cooperative 31.Possibility Of Development Of Cooperative.

3. Knowledge of following act/rule/notification/ circular etc relating to department- 15 marks.

(1)Act- The Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960, The Chhattisgarh Co-operative Societies (Compensation of Loss), Act 2007;

(2) Rule- The Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962;

(3) Circular - knowledge of circular issued by the department; and

(4) Knowledge of model bye-laws of Co-operative Societies.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.